रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164सी] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 1972/ज्येष्ठ 30, 1894
No. 164C] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 1972/JYAISTHA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 20th June 1972

G.S.R. 316(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (ii) and (j) of sub-section (2) thereof shall, in relation to foodstuffs be exercisable also by a State Government subject to the conditions—

(1) that such powers shall be exercised by a State Government subject to such directions, if any, as may be issued by the Central Government in this behalf;

(2) that before making an order relating to any matter specified in the said clauses (a), (c) or (f) or in regard to distribution or disposal of foodstuffs to places outside the State or in regard to regulation of transport of any foodstuff, under the said clause (d), the State Government shall also obtain the prior concurrence of the Central Government; and

(3) that in making an order relating to any of the matters specified in the said clause (j) the State Government shall authorise only an officer of Government.

[No. 203(Genl)(2)/33/72-PY II.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 20 जून, 1972

सा० का० नि० 316(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (छ), (च), (ज), (झ), (झझ), और (भ) में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए उपबंध करने के लिए आदेश बनाने की उसे प्रदत्त शक्तियों, खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में, किसी राज्य सरकार द्वारा भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखते हुए, प्रयोक्तव्य होंगी —

(1) ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए किया जाएगा जो कि केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी करे ;

(2) उक्त खण्ड (क), (ग) या (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में या खाद्य वस्तुओं के, राज्य से बाहर के स्थानों को वितरण या व्ययन के सम्बन्ध में या उक्त खण्ड (घ) के अधीन किसी खाद्य वस्तु के परिवहन के विनियमन के संबंध में आदेश करने से पूर्व राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति भी प्राप्त करेगी ।

(3) उक्त खण्ड (भ) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के बारे में आदेश करने में राज्य सरकार के किसी अधिकारी को वही प्राधिकृत करेगी ।

[सं० 203 (जनरल) (2)/83/72-पी वाई-II]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972